न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री मंगलाराम पूनिया, आर.ए.एस.

2023-199 RAAJodhpur2023-101RTA223 Ramesh Kumar ors Vs Babulal etc

01. रमेशकुमार पुत्र भैरूलाल
02. मेघराज पुत्र भैरूलाल
जातियान् पालीवाल, निवासीगण- ग्राम छीला, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।

--- अपीलाण्ट्स

ब

ना

म

1. बाबूलाल पुत्र पन्नालाल
2. चैनसुख पुत्र पन्नालाल
जातियान् पालीवाल, निवासीगण- ग्राम छीला, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
3. हरिकिशन पुत्र आशाराम
4. हरिगोपाल पुत्र पन्नालाल
5. ओमप्रकाश पुत्र पन्नालाल
जातियान् पालीवाल, निवासीगण- ग्राम छीला, तहसील लोहावट, जिला जोधपुर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट, जिला जोधपुर।

--- रेस्पोडेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा दिनांक 04 अप्रैल 2023 राजस्व मूल वाद संख्या 176/2021 बाबूलाल व अन्य बनाम रमेश कुमार इत्यादि

--- 0 ---

उपस्थित -

श्री पूनाराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 6

नि र्ण य

दिनांक : 12 फरवरी 2024

सहायक कलेक्टर लोहावट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अप्रैल 2023 राजस्व मूल वाद संख्या 176/2021

12.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अनवान बाबूलाल व अन्य बनाम रमेश कुमार इत्यादि के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 07 जून 2023 को पेश की गयी है।

अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या एक व दो ने एक वाद बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा बाबत् अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 228 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा ग्राम छीला के संबंध में प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 04 अप्रैल 2023 को निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी कर दी, जिसके विरुद्ध आलौच्य अपील प्रस्तुत की गई।

बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट्स की सहखातेदारी की भूमि है। विचारण न्यायालय में विचाराधीन वाद में अपीलांट्स पर तामील हेतु भेजे गये सम्मन अदम तामील प्राप्त हुए थे। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर तामील हेतु पुनः सम्मन नहीं भिजवाये जाकर डाक उन्ही डाक रसीदात के आधार पर गलत रुप से एकतरफा कार्यवाही कर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दिया। वादग्रस्त आराजी ग्राम छीला के खसरा नं. 228 में अपीलार्थीगण रेकर्डेड सह खातेदार है, लेकिन सभी सहखातेदारों का हिस्सा जमाबंदी में सही दर्ज नहीं है, वादीगण द्वारा गलत रुप से नजरी नक्शा पेश कर वाद पेश

12.2.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

किया है तथा उस वाद को विचारण न्यायालय द्वारा स्वीकार कर एकतरफा डिक्री पारित की है। जबकि वादीगण द्वारा बताये गये स्थान पर अपीलांट्स का कब्जा काश्त है। विचारण न्यायालय की आदेशिका अनुसार दिनांक 04.04.2023 को पीठासीन अधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त थे तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.05.2023 दी गई है, इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित नहीं कर सकते थे जो स्वयं आदेशिका से स्पष्ट है एवं निर्णय व डिक्री में आगामी तारीख पेशी दिनांक 17.05.2023 दी गई है, जिससे विचारण न्यायालय की न्यायिक प्रक्रिया भली भांति स्पष्ट है। किसी भी नियमित वाद की पत्रावली में सभी पक्षकारों को सम्यक रूप से नोटिस जारी कर उन्हें सुनवाई का अवसर प्रदान कर नियमित वाद की संपूर्ण प्रक्रिया अपनाते हुए गुणावगुण पर निस्तारण किया जाना चाहिए जो हस्तगत प्रकरण में पालना नहीं किये जाने से आलौच्य निर्णय एंव डिक्री अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट्स पर सम्मनों की सम्यक तामील करवाये बिना आलौच्य निर्णय एंव डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट्स को अपीलाधीन निर्णय एंव डिक्री की समय पर जानकारी नहीं हो सकी। दिनांक 05.06.2023 को हल्का पटवारी द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जारी होने की बात कहने पर अपीलांट्स को आलौच्य निर्णय एवं डिक्री की जानकारी हुई। इससे पूर्व अपीलांट्स को कोई जानकारी नहीं थी।

अंत में अपीलांट्स के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया

12-2-24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जावे एवं गुणावगुण पर अपील अपीलांट्स स्वीकार फरमायी जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अप्रैल 2023 राजस्व मूल वाद संख्या 176/2021 अनवान बाबूलाल व अन्य बनाम रमेश कुमार इत्यादि अपास्त किये जावे तथा मामला अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाकर विधिक प्रक्रिया के तहत दोनो पक्षों को जवाब एवं सुनवाई का अवसर दिये जाने के पश्चात विधि अनुसार निर्णय पारित किये जाने का आदेश फरमावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्षकारान के अधिवक्तागण की उपरोक्त बहस पर गम्भीरतापूर्वक मनन किया गया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट्स द्वारा अपील प्रस्तुति में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु विलंब पर नरम अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट्स अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक दिनांक 04.04.2023 को पीठासीन अधिकारी के दौर पर/अवकाश पर होने की आदेशिका की मुहर के साथ पेशकार द्वारा अपने हस्ताक्षरों के साथ आगामी तारीख पेशी दिनांक 23.05.2023 तब्दील की गई है, किंतु इसके विपरीत उसी दिन विचारण

12.3.24
राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है जो आदेशिका से मेल नहीं खाता है। विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत दावे में अपीलार्थीगण पर सम्मनों की सम्यक तामील भी सम्यक रूप से करवाया जाना नहीं पाया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट्स को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किये बिना तथा विधिक प्रक्रिया की पालना किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया जाना प्रतीत होता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री विधिसम्मत नहीं पाये जाने से अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी लोहावट द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 04 अप्रैल 2023 राजस्व मूल वाद संख्या 176/2021 अनवान बाबूलाल व अन्य बनाम रमेश कुमार इत्यादि को अपास्त किया जाकर मामला अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभय पक्ष को साक्ष्य-सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए वाद-विचारण की प्रक्रिया के तहत विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित करे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

12-2-24

(मंगलाराम पूनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर